न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी / सहायक कलेक्टर राजगढ(अलवर)

(पीठासीन अधिकारी सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या:—03 / 54 / 2021 ऑनलाईन नम्बर:—2021 / 268 प्रवेश तिथि:—03.09.2021

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजगढ जिला अलवर।

.....प्रार्थी

बनाम्

1. दीनदयाल गुप्ता पुत्र रामकुवार जाति महाजन सा0 प्लाटन 215 स्कीम नम्बर 2 लाजपतनगर जुबलीबास अलवर।
2. बनवारी लाल शर्मा पुत्र दौलतराम शर्मा जाति ब्राहम्ण सा0 कालीपहाडी तहसील राजगढ जिला अलवर।
3. सुनील कुमार गुप्ता पुत्र रामकिशोर गुप्ता सा0 थानाराजाजी तहसील राजगढ जिला अलवर।

.....अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत बेदखली अन्तर्गत धारा 177
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
उपस्थित— तहसीलदार राजगढ—प्राथ

—:निर्णय:—

दिनांक 12 / 01 / 2026

1. आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की हाल खसरा संख्या 36 / 0.4350 है0 वाके ग्राम बाढ ढिगावडा तहसील राजगढ जिला अलवर में अवस्थित है। उक्त विवादीत आराजी का खातेदारी अप्रार्थी कृषि प्रयोजनार्थ की भूमि है। जिसे अप्रार्थी के द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए किस्म परिवर्तित कर दुकान निर्माण व प्लाटिंग बनाकर जमीन को खर्दु—बुर्द कर रहे है। जिसका अप्रार्थी को हक नही हे। अप्रार्थी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के कानूनी प्रावधानों व टीनेन्सी की शर्तो को भंग किया एवं बिना संपरिवर्तन आदेश के भूमि की किस्म को परिवर्तन की है। जिसे राजस्थान सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ है। अप्रार्थी द्वारा टीनेन्सी की शर्तो को भंग करने व राजस्थान सरकार के खिलाफ हानिप्रद कार्य करने के कारण अब अप्रार्थी को जमीन से बेदखल किया जाना व स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायाचित है। प्रार्थना पत्र हाजा न्यायालय के लिए मुखासमत दिनांक 25.05.2021 को पैदा हुआ जब पटवारी हल्का ने प्रार्थी को अप्रार्थी द्वारा विवादित आराजी से के अवैध रूप से प्लाटिंग करने की सुचना जरिये रिपोर्ट दी। तहसीलदार राजगढ को पटवारी हल्का से दिनांक 09.11.2023 को इस आशय की रिपोर्ट प्राप्त हुई कि बिना सक्षम स्वीकृति के आराजी खसरा संख्या 36 / 0.4350 है0 वाके ग्राम बाढ ढिगावडा तहसील राजगढ पर अवैध प्लाटिंग कर व्यवसायिक / अकृषि उपयोग किया जा रहा है। अप्रार्थी के द्वारा कृषि भूमि समपरिवर्तन करने की कोई सक्षम स्वीकृति प्राप्त नही की गई है। तथा मौके पर यह भूमि अब पुनः कृषि उपयोग में लेने योग्य नही रही है। ना ही कृषि भूमि का स्वरूप बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा के कर लिया है। जिससे राज्य सरकार को को राजस्व हानि हुई है। अन्त में प्रार्थी द्वारा उक्त विवादित आराजी से अप्रार्थी को बेदखल व अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द करने का निवेदन किया।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण असालतान उपस्थित न्यायालय आये। अप्रार्थीगण बहस हेतु न्यायालय में अवशर दिये गये लेकिन उपस्थित नही आयें। उनके द्वारा जवाब पेश किया गया जो निम्नानुसार है—

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला-अलवर सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़

नम्बर व अहकाम प[...] हुक्म की जारी

यह है कि आराजी खसरा संख्या 36/0.4350 वाके ग्राम बाढ ढिगावडा तहसील राजगढ जिला अलवर में स्थित है। अप्रार्थीगण के द्वारा उक्त भूमि में व्यावसायिक प्रयोजन के प्लाटस कायम किये गये है। तथा अप्रार्थीगण द्वारा व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भूमि रूपान्तरण पत्रावली सक्षम अधिकारी के समक्ष पेश करने हेतु तैयार कि जा रही है। जिसमें लगने वाला शुल्क जमा कराकर भूमि रूपान्तरण कराकर अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग में लेने का पुर्ण अधिकार है। अन्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारीज करने का निवेदन किया गया।

3. बहस प्रार्थी तहसीलदार राजगढ की सुनी गई। तहसीलदार राजगढ द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ताईद की। और प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

4. बहस प्रार्थी तहसीलदार राजगढ पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से यह स्पष्ट है। कि खातेदार अप्रार्थी द्वारा विवादित आराजी खसरा संख्या 36/0.4350 है0 वाके ग्राम बाढ ढिगावडा तहसील राजगढ अर्थात कृषि योग्य भूमि का बिना विधिक प्रक्रिया की अनुपालना किये एवं बिना सक्षम प्राधिकारी से अनुज्ञा प्राप्त किये बिना मौके पर अवैध दुकान निर्माण व प्लाटिंग करके व्यवसायिक प्रयोजनार्थ काम लिया जा रहा है। तहसीलदार के अनुसार खसरा संख्या 36/0.4350 है0 वाके ग्राम बाढ ढिगावडा तहसील राजगढ जिला अलवर पर दुकान निर्माण व प्लाटिंग की इस तथ्य की पुर्ण रूप से पुष्टि होती है। खातेदार द्वारा बाद सूचना तामील के न तो उक्त तथ्य का खण्डन किया है एवं ना ही अपने बचाव में कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये है। **खातेदारान ने अपनी आराजी का व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भूमि रूपान्तरण की कार्यवाही कर के लिए अवगत कराया गया। लेकिन आज दिनांक तक किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही जो भूमि रूपान्तरण के लिए की गई हो। भूमि रूपान्तरण के किसी भी प्रकार के दस्तावेज हाजा न्यायालय में पेश नही किये गयें। इसलिए अप्रार्थीगण के द्वारा न्यायालय को भ्रमित किया गया है।** इसलिए खातेदार द्वारा विवादित आराजी कृषि भूमि पर दुकान निर्माण व प्लाटिंग बनाकर व्यवसायिक प्रयोग के रूप में अनुप्रयोग करना अहितकर कार्य की श्रेणी में आता है। तथा यह खातेदार की खातेदारी अधिकारों को विलोपित करते हुए बेदखल किए जाने का पर्याप्त आधार है। अतः हमारा विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी तहसीलदार राजगढ का प्रार्थना पत्र भली–भाती साबित होता है। अप्रार्थी खातेदार को विवादग्रस्त आराजी के खातेदारी अधिकारों को विलोपित करते हुऐ विवादित आराजी से बेदखल करते हुए सिवायचक खाता सरकार दर्ज करना विधि सम्मत प्रतीत होता है। अतः–

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के अन्तर्गत प्रार्थी तहसीलदार राजगढ का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी खसरा संख्या 36/0.4350 है0 वाके ग्राम बाढ ढिगावडा तहसील राजगढ जिला अलवर से अप्रार्थीगण दीनदयाल गुप्ता पुत्र रामकुँवार गुप्ता, बनवारी लाल शर्मा पुत्र दौलतराम शर्मा, सुनील कुमार गुप्ता पुत्र रामकिशोर गुप्ता के खातेदारी के अधिकार विलोपित करते हुए विवादित आराजी को सिवायचक खाता सरकार दर्ज करने के आदेश पारीत किये जाते है। साथ ही अप्रार्थीगण दीनदयाल गुप्ता पुत्र रामकुँवार गुप्ता, बनवारी लाल शर्मा पुत्र दौलतराम शर्मा, सुनील कुमार गुप्ता पुत्र रामकिशोर गुप्ता को विवादित आराजी से बेदखल किया जावे।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति जमा लेख भंडार हो।

यह आदेश आज दिनांक 12/01/2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला-अलवर
सत्यमेव जयते

(सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला–अलवर